भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4004

30 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

सेंट्रल विस्टा निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण और पर्यावरण सुरक्षा उपाय

4004 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शेष निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है;
(ख) क्या सरकार को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र और उसके आसपास धूल नियंत्रण करने वाले जाल, पानी के छिड़काव यंत्र या मलबे को ढककर लाने-ले जाने जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अपर्याप्त उपयोग की रिपोर्टों की जानकारी है;
(ग) आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण सामग्री को हटाने और सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या निर्माण के वर्तमान चरण के दौरान कोई पर्यावरणीय संपरीक्षा की गई है, और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शेष निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

i. सीसीएस 6 और 7 का निर्माण - मार्च 2027
ii. सीसीएस 8 और 9 का निर्माण - दिसंबर 2027
iii. सीसीएस 10 का निर्माण - सितंबर 2026
iv. सीसीएस 4 और 5 का निर्माण - अप्रैल 2028
v. व्यापक संरक्षण, नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग (युगे युगीन भारत संग्रहालय) - अगस्त 2027

vi. व्यापक संरक्षण, साउथ ब्लॉक बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग (युगे युगीन भारत संग्रहालय) - मार्च 2028

(ख) सभी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजनाओं में धूल नियंत्रक नेट, पानी के स्प्रिंकलर, निर्माण कार्य के मलबे को ढकना, ढक कर सामग्री का परिवहन, मलबे/निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को निर्धारित प्रसंस्करण संयंत्र में निपटान के लिए पहुंचाना जैसे प्रदूषण शमन करने के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों के अलावा, सभी परियोजनाओं में 12 मीटर ऊंची डस्ट स्क्रीन बैरिकेडिंग भी लगाई गई है।

(ग) आस-पास की सड़कों की नियमित रूप से सफाई और जल छिड़काव किया जा रहा है और निर्माण मलबे को उचित रूप से ढके हुए ट्रकों द्वारा नियमित रूप से हटाया जा रहा है। निर्माण स्थल से उत्पन्न सभी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को अनुमोदित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र में पहुंचाया जा रहा है।

(घ) सीएक्यूएम और डीपीसीसी के सदस्य प्रदूषण शमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से साइट का दौरा करते हैं। धूल शमन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

i. ग्रीन नेट कवर प्रदान किया गया।
ii. फुटपाथ की लूज सोइल को मजबूत किया गया था।
iii. निर्माण स्थल से सटी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया था।
iv. निर्माण स्थल पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गई।
